राजस्व वाद 209/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
नरसीराम बनाम् डूंगरराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला—नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :209/2021

वादीगण—

1. नरसीराम पुत्र डूंगरराम
जाति—जाट ,निवासी— आंवलियासर , तहसील—जायल,जिला—नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. डूंगरराम पुत्र शेराराम
2. हूलारी पुत्री डूंगराराम
जातियान—जाट, निवासीगण—आंवलियासर, तहसील—जायल, जिला—नागौर।
3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :—

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 स्वंय उपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— : : डिक्री आदेश : : —

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 स्वंय उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि — यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा आवंलियासर के खेत खसरा नंबर 369/58, 58 व मौजा बागरासर के खेत खसरा नंबर 36/2 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी नरसीराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 36/2 रकबा 1.6026 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के संयुक्त हक बंट में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 369/58 रकबा 2.9947 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 58 रकबा 7.2600 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17.11.2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल—(नागौर)

Scanned with CamScanner